

महिला एवं बाल विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
१, केनिंग लेन, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली - ११०००१
आर्थिक सहायता अनुभाग

F.No.40(26)/WCD/FAS/V.S /2018-19

अतारांकित प्रश्न संख्या - 22

दिनांक - 06.06.18

प्रश्नकर्ता का नाम - श्री सुरेन्द्र सिंह

विभाग का नाम - महिला एवं बाल विकास विभाग

विभाग का पता - 1 पंडित रवि शंकर शुक्ला लेन, के. जी. मार्ग, नई दिल्ली - 110001

क्या उप मुख्यमंत्री मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्र.संख्या	प्रश्न	उत्तर																
(क)	दिल्ली छावनी विधानसभा क्षेत्र की जनता की ओर से विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन तथा आर्थिक सहायता के कितने आवेदन जनवरी 2014 से अप्रैल 2018 तक विभाग को प्राप्त हुए ?	दिल्ली छावनी विधानसभा क्षेत्र की जनता की ओर से जनवरी 2014 से अप्रैल 2018 तक विभाग को विधवा पेंशन के 430 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी (दक्षिण-पश्चिम) के अनुसार जनवरी 2014 से फ़रवरी 2017 तक प्राप्त आवेदनों के विषय में सूचना एकत्रित की जा रही है।																
(ख)	इनमें से कितने आवेदनों को स्वीकार और कितने आवेदनों को विभाग द्वारा रद्द किया गया;	<table border="1"> <thead> <tr> <th>योजना</th> <th>प्राप्त</th> <th>स्वीकृत</th> <th>रद्द</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>विधवा पेंशन (जनवरी 2014 से अप्रैल 2018)</td> <td>430</td> <td>377</td> <td>53</td> </tr> <tr> <td>विकलांग पेंशन (मार्च 2017 से अप्रैल 2018)</td> <td>35</td> <td>06</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>दिल्ली पारिवारिक लाभ योजना (मार्च 2017 से अप्रैल 2018)</td> <td>47</td> <td>06</td> <td>02</td> </tr> </tbody> </table>	योजना	प्राप्त	स्वीकृत	रद्द	विधवा पेंशन (जनवरी 2014 से अप्रैल 2018)	430	377	53	विकलांग पेंशन (मार्च 2017 से अप्रैल 2018)	35	06	0	दिल्ली पारिवारिक लाभ योजना (मार्च 2017 से अप्रैल 2018)	47	06	02
योजना	प्राप्त	स्वीकृत	रद्द															
विधवा पेंशन (जनवरी 2014 से अप्रैल 2018)	430	377	53															
विकलांग पेंशन (मार्च 2017 से अप्रैल 2018)	35	06	0															
दिल्ली पारिवारिक लाभ योजना (मार्च 2017 से अप्रैल 2018)	47	06	02															
(ग)	स्वीकार किये गए आवेदनों में से कितने लाभार्थियों की पेंशन उनके खाते में आ चुकी है ; और	स्वीकृत किये गए आवेदनों में से निम्न लाभार्थियों की पेंशन उनके खाते में आ चुकी है :- <table border="1"> <thead> <tr> <th>योजना</th> <th>कुल प्रेषित पेंशन</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>विधवा पेंशन(जनवरी 2014 से अप्रैल 2018)</td> <td>341</td> </tr> <tr> <td>विकलांग पेंशन(वर्ष 2014 से अब तक)</td> <td>174</td> </tr> <tr> <td>दिल्ली पारिवारिक लाभ योजना (केवल वर्ष 2017-18)</td> <td>14</td> </tr> </tbody> </table>	योजना	कुल प्रेषित पेंशन	विधवा पेंशन(जनवरी 2014 से अप्रैल 2018)	341	विकलांग पेंशन(वर्ष 2014 से अब तक)	174	दिल्ली पारिवारिक लाभ योजना (केवल वर्ष 2017-18)	14								
योजना	कुल प्रेषित पेंशन																	
विधवा पेंशन(जनवरी 2014 से अप्रैल 2018)	341																	
विकलांग पेंशन(वर्ष 2014 से अब तक)	174																	
दिल्ली पारिवारिक लाभ योजना (केवल वर्ष 2017-18)	14																	
(घ)	जिनकी पेंशन खातों में नहीं आई है, वह कब तक आ जायेगी ?	विभाग द्वारा विधवा पेंशन का भुगतान, भारत सरकार के आदेश अनुसार Public Financial Management System (PFMS) पोर्टल तथा Direct Benefit Transfer (DBT) मोड के माध्यम से किया जाता है जिसमें प्रार्थी के बैंक खाता आधार से लिंक होना आवश्यक है। यदि पेंशन का बैंक खाता आधार लिंक न हो तो PFMS पोर्टल उसे डाटा में नहीं लेता है। स्वीकृत किये गए आवेदनों को पेंशन प्रार्थी द्वारा उनका आधार नंबर बैंक अकाउंट से लिंक करवाने के पश्चात् उनके खातों में भेजी जाती है। आवेदकों को अपना खाता, आधार नंबर से शीघ्र अति शीघ्र लिंक करवाने के लिए कहा जाता है।																

Shankar